



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271052  
CG-DL-E-18032026-271052

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1332]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 1332]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

का.आ. 1397(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 4 की उपधारा (1) और (3) के साथ पठित धारा 50 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 49 की उपधारा (3), (4) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2565 (अ), तारीख 30 सितंबर, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(क) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“ऐसे मामले में जिनमें दो करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक रकम या मूल्य अंतर्वलित है” ;

(ख) क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

ऐसे मामले में जिनमें दो करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक रकम या मूल्य अंतर्वलित है” ;

[फा. सं. के-11022/80/2011-एडी.ईडी.]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 2565(अ), तारीख 30 सितंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2026

**S.O. 1397(E).**—In exercise of the powers conferred by section 50 read with sub-sections (1) and (3) of section 4 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and sub-sections (3), (4) and (5) of section 49 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Finance number S.O. 2565 (E), dated the 30th September, 2014, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(a) against serial No. 3, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Cases involving an amount or value in excess of rupees two crore but not exceeding rupees ten crore";

(b) against serial No. 4, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Cases involving an amount or value in excess of rupees two crore but not exceeding rupees ten crore".

[F. No. K-11022/80/2011-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2565(E), dated the 30th September, 2014.